न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 144 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 07.08.2015

1. रतनलाल पिता किशोर जाति भील निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. रामचन्द पिता किशोर जाति भील निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. भगवानलाल पिता किशोर जाति भील निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. हरकु बाई पिता किशोर जाति भील निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
5. बालीबाई पिता किशोर पत्नि काना जाति भील निवासी निलिया का माल तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
6. सोहनी बाई पिता किशोर पत्नि नन्दा जाति भील निवासी नाहरगढ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
7. जसुबाई पिता किशोर पत्नि भेरूलाल जाति भील निवासी बासोटा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. देवीलाल पिता केला जाति भील निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. जानीबाई पत्नि केला जाति भील निवासी कालीबीड तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. कंकुबाई पिता केला पत्नि रतनलाल जाति भील निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
प्रकरण संख्या 05/2013 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.10.2014

उपस्थित– 1. देवेन्द्र सिंह चुण्डावत –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चन्द्रप्रकाश शर्मा–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 4 व 5

निर्णय **दिनांक 13.04.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ की खाता सं. 15 मे दर्ज

आराजी नम्बर 257, 258, 265, 266 कुल किता 4 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर मृतक खा.दार किशोर के उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 1 से 8 अपीलान्टगण के नाम दर्ज है। जिनको प्रतिवादी कायम किया गया। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे मृतक किशोर पिता केला भील का नाम अंकित था। मृतक किशोर को उसके पिता केला भील व उसकी माता ने जब किशोर नाबालिग अवस्था मे था तब से भोला भील निवासी लक्ष्मीपुरा के यहां गोद रख दिया था। मृतक भोला केला का रिश्ते मे भाई था। उसके कोई औलाद नही होने से किशोर को भोला के यहां गोद रखा गया था। किशोर को गोद रखने के बाद भोला के 1 पुत्र जिसका नाम परथा है। एक बार किसी व्यक्ति को गोद रख दिया जाता है तो वह हमेशा के लिये गोद जाने वाले पिता के यहां गोद पुत्र बन जाता है। और किशोर के गोद जाने के पश्चात् परथा का जन्म हुआ है। इसलिये किशोर के गोद जाने के प्रश्न को प्रश्नतगत नही किया जा सकता है। इसलिये किशोर भोला का गोदपुत्र है व मौजा बुजडा के खाता सं. 5 संवत् 2068–2071 व खाता सं. 6 संवत् 2068–2071 मे भोला के पुत्र के रूप मे मृतक किशोर का नाम अंकित है। चूंकि किशोर की मृत्यु हो चुकी है। मृतक किशोर के गोद जाने के पश्चात् मृतक केला के परिवार मे किशोर का कोई हक निहित नही रहा। लेकिन केला की मृत्यु के पश्चात् केला की विरासत मे किशोर का नाम भी अंकित किया गया है जिसको हटाया जाना आवश्यक है। वादपत्र मे यह भी निवेदन किया गया कि पक्षकारान जाति से भील होकर हिन्दू है। व अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। इसलिये पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। मृतक खातेदार केला की मृत्यु के पश्चात् उनकी पुत्रियां प्रतिवादी सं. 9 व 10 के नाम पर भी विरासत का नामान्तकरण दायर किया है। जो वादपत्र मे कृषि भूमि मे खातेदार है। चूंकि केला भील की दोनो पुत्रियां रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी की बहिने होकर उनका विवाह हो चुका है। तथा मृतक केला की सम्पत्ति मे कानूनन कोई हित नही रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनूसूचित जनजाति पर लागू नही होता है। प्रतिवादी सं. 9 व 10 का नाम भी हटाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण को बिना तामील के अनुपस्थित होना मानते हुए एक तरफा कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 का जवाबदावा लिया जाकर तनकियात कायम कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र एक तरफा मे प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 8 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। व अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपील के साथ अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण की अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए मौखिक बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे बिना तामील के एक तरफा कार्यवाही किये जाने का निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रोपर तामील नही हुई थी। व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे सम्मन भी शामिल नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की बिना तामील किये अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नही है। व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण न्याय से वंचित रहे है। विवादित भूमि बैंक के रहन थी। व बैंक को पक्षकार बनाये बगैर वादपत्र चलने योग्य नही था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने किशोर को भोला के गोद जाना बताया है जिसका कोई दस्तावेज अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत नही हुआ है। व भोला के पुत्र परथा था। भोला के पुत्र होते हुए किशोर के गोद जाने का तथ्य पूर्णतया गलत है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र डिक्री किया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात स्वर्गीय केला की थी। केला के दो पुत्र किशोर व देवीलाल व तीन पुत्रियां थी जिनका विवाह हो चुका है। केला का पुत्र किशोर केला के गोद चला गया फिर भी केला की विरासत मे मृतक किशोर का नाम दर्ज कर दिया गया। जिनका नाम हटाये जाने का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की तामील होकर सम्मन नोटिस प्राप्त हुए है। बावजूद नोटिस अपीलान्टगण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नही रहने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य नही होने से निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र बिना दस्तावेजी सबुत के अपीलान्टगण के पिता

किशोर को भोला भील के गोद जाना बताते हुए केला की विरासत मे अपीलान्टगण का नाम हटाये जाने का आदेश पारित किया। वादपत्र मे मुख्य आधार स्वर्गीय किशोर को भोला के गोद जाना बताया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे गोद के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने उक्त आराजीयात पर अपना कब्जा होना बताते हुए वादपत्र डिक्री करवाया है। कब्जे के सम्बन्ध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने काल्पनिक तथ्यो के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र एक तरफा मे डिक्री किया जाना पाया जाता है जो संहवनीय नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 05/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2014 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ